सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 6, गुरूवार, *शाके* 1943–मई 27, 2021 *Jyaistha 6, Thursday, Saka 1943- May 27, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2021

संख्या प.1(1)न्याय/2021 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	भीलवाडा	गंगापुर
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा	बीकानेर	नोखा
3.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू	चूरू	चूरू
4.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर	चूरू	बीदासर
5.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैपऊ	धौलपुर	सैपऊ
6.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी	धौलपुर	बसेडी
7.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया	हनुमानगढ	संगरिया
8.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर

9.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू
10.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहावट	जोधपुर जिला	लोहावट
11.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप	जोधपुर जिला	बाप
12.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	जोधपुर जिला	भोपालगढ
13.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत	पाली	सोजत
14.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	पाली	सुमेरपुर
15.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	सीकर	श्रीमाधोपुर
16.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	सीकर	लक्ष्मणगढ
17.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	टोंक	टोंक
18.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	टोंक	निवाई

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।